"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2004—श्रावण 15, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—डॉ. एच. एल. प्रजापति, भा.प्र.से. (1984) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, कृषि विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, कृषि एवं पशुपालन तथा गन्ना आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. डॉ. प्रजापति के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सी. के. खेतान सचिव, कृषि के दायित्व से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004

3. श्री टी. एस. छतवाल, भा.प्र.से. (1984), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री रामप्रकाश, भा.व.से., सचिव वन विभाग की सेवायें वन विभाग को वापस लौटायी जाती है. वे अपनी उपस्थिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर में देंगे.

5. श्री सत्यजीत ठाकुर, भा.प्र.से. (यू.पी.-1985) आयुक्त, उच्च शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से. (1986) सचिव, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. इंदिरा मिश्रा, भा.प्र.से. (1969) अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

8. श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है.

9. श्री अजयबारा प्रसाद आदिथाला, भा.प्र.से. (एच. पी.-86), संचालक, कृषि एवं पशुपालन तथा गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

10. श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

11. श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से. (1989) आयुक्त, आदिवासी विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

12. श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (1991) कलेक्टर, कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जशपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

13. श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991) कलेक्टर, जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

14. श्री ए. जयतिलक, भा.प्र.से. (के. एल.-1991) संयुक्त सचिव, पर्यटन, संचालक, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास बोर्ड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

15. श्रीमती इशिता राय, भा.प्र.से. (के. एल.-1991), संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय तथा संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा जाता है.

16. श्री बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (1993), संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का प्रभार भी सौंपा जाता है.

17. श्री बी. एस. अनंत द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) प्रबंध संचालक, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रभार से मुक्त होंगे.

18. श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995) संयुक्त सचिव, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं संचालक, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

19. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997) कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ तथा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

20. श्री अमीर अली, भा.प्र.से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम एवं प्रबंध संचालक, सहकारी शक्कर कारखाना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

21. श्री के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, गृह विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 2-7-2004 के द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा को सचिव, वित्त विभाग का चालू प्रभार सौंपा गया था. अब श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) सचिव, वित्त एवं योजना विभाग एवं आयुक्त, वाणिज्यकर, आबकारी आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वित्त एवं योजना विभाग तथा आयुक्त, वाणिज्यकर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2004

क्रमांक 308/2004/1-8/स्था.—श्री एस. एन. ओझा, मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 10-5-2004 से 14-5-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 मई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री ओझा, मुख्य लेखाधिकारी; छत्तीसगढ़ मंत्रालय के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री महेन्द्र कुमार खरे, लेखा अधिकारी, छ. ग. मंत्रालय द्वारा संपादित किया जावेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. ओझा को मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एन. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2004

क्रमांक 310/2004/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 22-10-2003 से 7-11-2003 तक 17 दिन एवं दिनांक 8-3-2004 से 29-3-2004 तक 22 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक

8, 9 नवम्बर 2003/दिनांक 7 एवं 30 मार्च, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. डी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2004

क्रमांक एफ 2-10/2004/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय के निम्नलिखित अवर सचिव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप सचिव के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500 में पदोन्नत किया जाता है.

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री व्ही. एस. शालवार, राजभवन	इनके कनिष्ठ श्री आर. के. श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुए उन्हें उप सचिव राजभवन पदस्थ किया जाता है.
2.	श्री जी. डी. गुप्ता, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग.	वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनु. जाति/जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. श्री व्ही. एस. शालवार को उनके कनिष्ठ द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जावेगा. पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर कोई वेतन एरियर देय नहीं होगा. तद्नुसार इन्हें पदोन्नति का वास्तविक लाभ इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2004

क्रमांक 554/2004/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय को दिनांक 5-7-2004 से 9-7-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4 एवं 10 जुलाई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव, छ. ग. शासन के अवकाश अवधि में श्री अनिल टुटेजा, उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय अपने कार्य के साथ-साथ उनका कार्य देखेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. सुब्रमणियम को विशेष सचिव, छ. ग. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सुब्रमणियम अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छ. ग. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक 558/2004/1-8/स्था.—श्री के. सी. सरोज, तत्कालीन संयुक्त सचिव, राज्य योजना मण्डल को दिनांक 21-4-2004 से 24-4-2004 तक कुल 4 दिन एवं दिनांक 20-5-2004 से 11-6-2004 तक 23 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25 अप्रैल 2004 एवं 12, 13 जून 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. सरोज को तत्कालीन संयुक्त सचिव, राज्य योजना मण्डल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. सरोज अवकाश पर नहीं जाते तो तत्कालीन संयुक्त सचिव, राज्य योजना मण्डल के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक 559/2004/1-8/स्था.—श्री एन. के. भट्टर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 12-7-2004 से 16-7-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 04 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. भट्टर को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 562/2004/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 12-7-2004 से 16-7-2004 तक कुल 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. डी. गुप्ता, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. डी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 564/2004/1-8/स्था.—श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत वित्त, मंत्रालय को दिनांक 28-6-2004 से 3-7-2004 तक कुल 6 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4 जुलाई 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत वित्त, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. साकी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत वित्त के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर,उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्रमांक	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किये गये
(1)	(2)	(3)
1.	श्री कमल प्रीत सिंह	कोंडागांव, जिला-बस्तर
2.	श्री रोहित यादव	मुंगेली, जिला-बिलासपुर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता राय, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2004

क्रमांक 1162/650/2004/1/2/लीव.—श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 17-5-2004 से 11-6-2004 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16 मई तथा 12 एवं 13 जून, 2004 तक का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से., आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री नारायण सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नारायण सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक बी-1/47/2003/एक/4.—श्री भारत कुमार अग्रवाल, रा. प्र. से. (आर. आर. 85-वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को तत्काल प्रभाव से, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ राजभवन सचिवालय में प्रचलित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु एक माह के लिये संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय भी पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

श्रम विभाग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 11-15/2003/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि बिलासपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियटर) को निर्दिष्ट अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एवं इस्पात श्रमिक संघ अमेरी अकबरी पो. दगौरी जिला बिलासपुर एवं कारखाना प्रबंधक नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड दगौरी जिला बिलासपुर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 01/सी.जी.आई.आर./2001

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रॉबर्ट हांग्डोला, प्रमुख सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2004

क्रमांक 2816/डी-1135/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1674/1-8-6 2001 (भाग-2)/गो. प्र./04 दिनांक 10-5-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री हीरासिंह मरकाम, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की सेवाएं उक्त प्राधिकरण से वापिस लेते हुए उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतदद्वारा वापस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2004

फा. क्र. 4278/669/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, महासमुन्द को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए महासमुंद जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2004

फा. क्र. 4280/1690/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती ममता शर्मा, अधिवक्ता दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छ. ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिये दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छ. ग. जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2004

फा. क्र. 4282/753/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री तेजराम राय, अधिवक्ता, मनेन्द्रगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए कोरिया (बैकुण्ठपुर) जिले के तहसील मनेन्द्रगढ़ के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 857/563/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा पामगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

पामगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर - ग्राम चंडीपारा, कुटरबोड़ एवं बरगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व - ग्राम कुटरबोड़ बरगांव एवं चेऊडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण - ग्राम बरगांव, चेऊडीह एवं डोगाखहरौद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम - ग्राम डोगाखहरौद, रोझनडीह एवं चंडीपारा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 858/564/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा बाराद्वार नगर पंचायत के निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

बाराद्वार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर - ग्राम सरहर, दुरपा, सरवानी एवं सकरेली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व - ग्राम सकरेली एवं डुमरपारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण - ग्राम डुमरापार, पलाड़ी खुर्द, पलाड़ी कला ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.

पश्चिम - ग्राम पलाड़ी खुर्द, पलाड़ी कला, मुक्ताराजा, भागोडिह एवं सरहर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक 252/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	जटाकन्हार प. ह. नं. 13/32	2.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छत्तीसगढ़).	लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायींढ़ि तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/44.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	केरीबंधा प. ह. नं. 7	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	मोहन्दी कला वितरक नहर आफ के. बी. सी.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/45.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	टेमर प. ह. नं. 8	0.148	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	टेमर माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/46.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	टेमर प. ह. नं. 8	0.654	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	सपनाई पाली माइनर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/47.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	हरदा प. ह. नं. 7	0.158	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	हरदा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/48.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	टेमर प. ह. नं. 8	0.129	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चारपारा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/49.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसकेसंबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नावापाराकला प. ह. नं. 8	0.218	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	नावापारा कला माइनर 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/50.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसकेसंबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	धौराभाठा प. ह. नं. 6	0.032	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 3, सक्ती.	ठूठी माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/51.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	ठूठी प. ह. नं. 6	0.221	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	ठूठी माइनर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/61.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	चोरभट्ठी	0.088	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 3, सक्ती.	महुओडीह माइनर (पूरक प्रकरण).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/62.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसकेसंबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	सेन्दरी प. ह. नं. 17	0.346	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	परसाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/63.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसकेसंबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर	0.589	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 3, सक्ती.	महुआडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/64.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसकेसंबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर	1.740	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	जैजैपुर माइनर क्र. 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/65.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसकेसंबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कचंदा प.ह.नं. 12	0.289	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 3, सक्ती.	ब्रांच माइनर 2 L नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/66.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अरसिया प. ह. नं. 16	0.477	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	अरसिया माइनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/67.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	गरसदा खुर्द प.ह.नं. 7	0.473	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया, जिला रायगढ़.	मोहन्दी कला वितरक नहर एवं हरपा माइनर आफ के. वी. सी.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/68.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	पिसौद प. ह. नं. 21	0.169	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	भनेतरा माइनर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/69.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	गाड़ामोर प.ह.नं. 18	0.308	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 3.	बरदुली वितरक नहर गाड़ामोर माइनर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/70.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	पिसौद प. ह. नं. 21	0.106	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	भनेतरा ब्रांच माइनर 2 R

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/71.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	सेन्दरी प.ह.नं. 17	1.562	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 3, सक्ती..	सेन्दरी उप वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-नहरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-96.050 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
350	0.991
358/1	2.244
359/1	0.810
359/2	0.081
359/3	0.081
359/4	0.081
359/7	0.397
359/8	0.397
359/9	0.397
389/3	0.053
400	0.441
402/1	0.178
402/2	0.166
403/1	0.776
403/2	0.418
403/3	0.040
403/4	0.040
403/5	0.040
403/6	0.275
403/7	0.206
403/8	0.147
403/9	0.065
403/10	0.081
403/11	0.089
403/12	0.040
403/13	0.040
403/14	0.065
403/15	0.065
403/16	0.515
403/17	0.016
403/18	0.016
403/19	0.020
403/20	0.020
403/21	0.303
403/22	0.114
403/23	0.129
403/24	0.049
403/25	0.024
403/26	0.089
403/27	0.068
403/28	0.049
403/29	0.232
403/30	0.089
403/31	0.024
403/32	0.121
403/33	0.072
403/34	0.049
403/35	0.032
403/36	0.040
403/37	0.040
403/38	0.040
403/39	0.040
403/40	0.040
404	0.295
405	0.809
406/1	1.505
406/2	1.109
406/3	0.891
406/4	0.907
406/5	1.498
406/6	0.793
406/7	0.016
411	1.084

(1)	(2)	(1)	(2)
412/1	0.119	461/2	0.079
412/2	0.119	461/3	0.071
412/3	0.119	461/4	0.079
412/4	0.119	461/5	0.072
412/5	0.119	462/1	0.693
413	0.506	462/2	0.692
414	0.259	462/3	0.101
415	3.958	462/4	0.112
416	1.570	463	1.149
417	0.664	464	3.646
441/1	0.405	465/1	0.542
441/2	1.214	465/2	1.295
441/3	1.234	468/1	1.538
441/4	0.182	468/2	0.227
441/5	2.068	469/1	0.081
441/6	0.182	469/2	0.081
442/2	1.012	469/3	0.154
442/3	1.012	469/4	0.287
442/4	0.129	469/5	0.105
445	0.279	469/6	0.182
446	0.162	469/7	0.219
447	0.539	469/8	0.089
448/1	0.202	469/9	0.081
448/2	0.251	469/10	0.105
448/3	0.113	470	0.632
448/4	0.532	471/1	3.296
448/5	0.514	471/2	0.366
450	0.615	472/1	0.619
451	0.162	472/2	0.809
452	2.816	472/3	0.418
453	0.376	472/4	0.206
454	0.817	473/1	1.012
455/1	0.433	473/2	0.198
455/2	0.202	473/3	1.012
455/3	0.283	473/4	1.012
455/4	0.081	474	3.861
456	0.450	475/2	0.405
457	2.052	477/1	0.113
458/1	0.223	477/2	0.222
458/2	1.117	478/2	0.247
458/3	0.101	478/3	0.206
459	0.299	478/4	0.202
460	1.242	479/1	1.582
461/1	0.079	479/2	0.178

(1)	(2)
480/1	0.073
480/2	0.073
480/3	0.356
480/4	0.214
480/5	0.214
480/6	0.227
481	0.121
482	4.043
484	1.999
485	0.162
486	0.065
487	0.482
488	0.028
489/1	1.012
489/2	0.668
490	0.624
491	0.644
492	0.162
493	0.332
494	0.097
495	0.502
496/1	0.071
496/2	0.199
496/3	0.158
496/4	0.158
496/5	0.158
497	0.450
498/1	0.267
498/2	0.259
498/3	0.316
499	0.150
500/1	0.081
500/2	0.247
501	0.458
502	0.364
503	0.478
504/1	0.352
504/2	0.275
504/3	0.016
504/4	0.016
504/5	0.105
504/6	0.065
504/7	0.210
504/8	0.154
504/9	0.081
504/10	0.057
505/1	0.308
505/2	0.219
505/3	0.057
505/4	0.186
505/5	0.049
505/6	0.040
506	0.572
507/1	0.166
507/2	0.162
योग	96.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ मे. मोनेट इस्पात लि. हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 जून 2004

क्रमांक 3671/भू अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-करमतरा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
48	0.01
49/7	0.08
49/1	0.08
49/2	0.06
49/3	0.05
49/4	0.08
योग 6	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-करमतरा मोखली मार्ग के कि.मी. 2/4 पर मोखली नाला पुल के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3792/भू अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गठुला, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
49/2	0.27
54/2	0.25
75/2	0.04
69/2	0.15
75/1	0.17
160/1	0.26
161/3-4	0.03
151/1	0.36
166/3	0.25
152	0.12
172/1	0.23
196/2	0.01
104	0.24
125/2	0.16
50/1	0.18
67/5	0.36
75/4	0.10
70	0.21
74/2	0.14
160/4	0.21
162/1	0.12
165/1	0.13
166/4	0.06
236/2	0.10
172/3	0.02
195	0.40
119/3	0.12
126/1	0.20
52	0.49
54/3	0.11
67/1	0.12
76	0.17
75/3	0.03
161/1	0.12
162/2	0.11
165/2	0.01
168/2	0.22
150/2	0.15
172/1	0.08
158, 159	0.34
118	0.30
69/1	0.07
56	0.03
68/1	0.03
126/2 + 3	0.37
74/1	0.01
77	0.21

(1)	(2)
161/2	0.12
164	0.28
166/2	0.02
168/1	0.17
150/2	0.01
196/1	0.27
103	0.09
119/2	0.11
127	0.19
130/1	0.12
131/1	0.11
212/4	0.33
207/15	0.10
235/1	0.22
209/3	0.02
105/2	0.23
130/2, 131/2	0.33
213/1	0.28
207/9	0.06
207/18	0.18
237/1	0.12
526/1	0.22
106/3	0.06
130/3	0.10
212/2	0.16
207/10	0.08
167	0.02
209/2	0.20
526/2	0.02
234/1	0.01
130/4	0.12
212/3	0.46
207/13	0.14
236/1	0.17
209/1	0.11
163	0.01
योग 85	13.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बोरी जलाशय योजना नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3793/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कांकेतरा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.74 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1243	0.04
1244	0.30
1245	0.55
1247	0.22
1248	0.22
1249	0.05
1250	0.35
1256	0.01
योग 8	1.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये-आवश्यकता है-बोरी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 07/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-आमामुड़ा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.73 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
380/3	0.03
381	0.12
424	0.19
425/2, 426/1	0.03
426/2	0.26
419	0.09
422, 423	0.03
418/1, 418/2	0.35
416	0.29
245	0.32
407/1	0.11
407/2	0.11
222	0.27
253	0.59
248	0.22
449/1	0.05
255/1	0.01
249/2	0.06
244/1	0.23
244/1 ख, 244/1 घ	0.21
244/1 झ	0.06
244/1 ज	0.06
246	0.03
255/2	0.01
योग 24	3.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 09/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
28/1	0.28
28/2	0.40
~~29/1~~	0.05
50/1	0.76
51/1, 53/2	0.86
54/2, 55	0.12
योग 6	2.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.